

(relevant portion)

बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग के संबंध में विवरण

| काउंसिलिंग स्थल (टेलीमेडिसिन सेन्टर) | आमंत्रित अभ्यर्थी स्टेट रैंक (ओवर आल रैंक) | प्रमाण पत्रों के सत्यापन का दिनांक एवं पंजीकरण तिथि (समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 5.00 बजे तक) | काउंसिलिंग की तिथि | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|----------------------|--|
| 1- S.G.P.G.I., Lucknow. Tel- 0522-2495235 2-GSVM Medical College, Kanpur. Tel: 0512- 2535483 3- MLN Medical College, Allahabad. Tel. 0532- 2256507 4- L.L.R.M.Medical College, Meerut. Tel:0121- 2760888 | ओवर आल स्टेट रैंक- 01 से 2000 - <ul style="list-style-type: none"> • अनारक्षित/General - (OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • OBC-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • SC-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • ST-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) | 05.10.2015 (सोमवार) | 05.10.2015 (सोमवार) | BAMS*/BHMS/BUMS (शासकीय एवं निजी क्षेत्र की सीटें) |
| -तदैव- | ओवर आल स्टेट रैंक- 2001 से सभी अर्ह- <ul style="list-style-type: none"> • अनारक्षित/General - (OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • OBC-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • SC-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) • ST-(OP, GL, EA, FF, NCC, PH) | 05.10.2015 (सोमवार) | 06.10.2015 (मंगलवार) | -तदैव- |

* भारत सरकार/सी0सी0आई0एम0, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

नोट-

1- काउंसिलिंग शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य निर्देश कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति संख्या-एम0ई0-3/2015/2897 दिनांक 11 सितम्बर 2015, जो दिनांक 12 सितम्बर 2015 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, तथा इस कार्यालय की वेबसाइट www.updgme.in तथा www.updgme.co.in पर भी उपलब्ध है, के अनुरूप यथावत रहेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने तृतीय काउंसिलिंग (दिनांक 19 से 24 सितम्बर, 2015 अथवा दिनांक 28 सितम्बर, 2015) हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन/शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- 1- काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नहीं की जायेगी। प्रकाशित सूचना तथा website www.updgme.in तथा www.updgme.co.in पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा।
- 2- श्रेणी विशेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त कर दी जायेगी।
- 3- काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अंतिम व मान्य होगा।
- 4- काउंसिलिंग के समय अर्हता सम्बन्धी सभी मूल प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र सहित) तथा उनकी एक-एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं सी0पी0एम0टी0-2015 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियां तथा सी0पी0एम0टी0-2015 का प्रवेश पत्र मूल रूप में साथ लाना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जो दिनांक 31 मार्च 2015 के बाद का बना हो, तथा जिसमें कीमीलेयर में न होने का प्रमाण भी अंकित हो, मूल रूप में लाना सुनिश्चित करें। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5- अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि यदि उक्त तिथि में होने वाली काउंसिलिंग अपरिहार्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पाती है तो उसी क्रम में बचे हुये अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग अगले दिन सम्पन्न की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपनी काउंसिलिंग तिथि से एक दिन का अतिरिक्त समय लेकर ठहरने की व्यवस्था के साथ उपस्थित हों।
- 6- अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या-2240/71-3-2010-328/92, दिनांक 20 अगस्त, 2010 (वेबसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध) द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी शुल्क की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें जिससे कि आवंटन के पश्चात् तत्काल आवंटित मेडिकल कालेज में प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सके।
- 7- अन्य निर्देश तथा विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट www.updgme.in तथा www.updgme.co.in पर उपलब्ध है। कृपया वेबसाइट का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

महानिदेशक